न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2018 G.C.M.S. No. 2018/00301 दर्ज दिनांक : 03.10.2018

अपीलार्थिगण:

1. पीथाराम पुत्र वगताजी, उम्र 70 वर्ष, जाति गरासिया, निवासी देसूरी (गरासीया बस्ती देसूरी) जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृतक भैरा पुत्र भीका के वारिसान
   अ. मोतीलाल पुत्र भैरा उम्र 40 वर्ष
2. चेना पुत्र जोगाजी, उम्र 42 वर्ष
3. दीपा पुत्र जोगाजी, उम्र 40 वर्ष, जातिगण गरासिया, निवासीगण देसूरी (गरासीया बस्ती देसूरी) जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2018 बअनवान पीथाराम बनाम मोतीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विरमाराम मीणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 25.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2018 बअनवान पीथाराम बनाम मोतीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली के हाल खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मकान, खसरा नम्बर 3107 रकबा 1.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 रकबा 1.8900 हैक्टेयर की आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की करीब 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा–काश्त की आई हुई स्थित है। जो विवादग्रस्त कृषि भूमि है। वक्त दौराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 3106, 3107 कुल रकबा 1.8900 हैक्टेयर की कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 268 मीन रकबा 15 बीघा से बनाये गये है एवं पुराने खसरा नम्बर 268 में से 12 बीघा आराजी अपीलाण्ट पीथाराम की पुरानी कब्जासुदा आराजी है। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत रूप से खसरा नम्बर 268 रकबा 15 बीघा की कृषि भूमि भीका पुत्र गेमा के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

बिना कोई कब्जे की जांच किये एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही किये बिना ही आवंटन कर दी। जबकि वक्त आवंटन खसरा नम्बर 268 रकबा 15 बीघा में से 12 बीघा की कृषि भूमि पर भीका पुत्र गेमा का कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा एवं न ही उसके जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा–काश्त कायम रही। भीका पुत्र गेमा की मृत्यु के बाद भी उनके विधिक वारिशान 1 लगाय 3 का भी उक्त कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा एवं न ही वर्तमान में कोई किसी प्रकार से कोई कब्जा–काश्त कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जो वाद राजस्व वाद संख्या 03/2018 के दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की बाद तामिल वास्ते जवाब हेतु मुकर्रर था। परन्तु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये राजस्व अभियान 2018 न्याय आपके द्वार के दौरान अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को सूचित किये एवं सुने बिना ही उक्त पत्रावली को राजस्व केम्प का टारगेट बनाने हेतु उक्त पत्रावली को राजस्व केम्प देसूरी में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में सुनवाई करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर पत्रावली को निर्णित करते हुए आदेश पारित कर दिया। जबकि आदेशिका के अवलोकन अनुसार एवं कानूनी रूप से पत्रावली जवाब हेतु मुकर्रर थी, जिसमें बाद जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर वाद को मेरिट पर निर्णित किया जाना था, जो नहीं किया गया एवं केवल मात्र परिपोषणीय नहीं होने की टिप्पणी करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया है। जिससे विवश होकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि मौजा देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली के हाल खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मकान, खसरा नम्बर 3107 रकबा 1.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 रकबा 1.8900 हैक्टेयर की आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की करीब 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। अपीलाण्ट ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर उक्त कृषि भूमि में मौके पर रहवासीय मकान बनाया एवं उस पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया तथा कृषि सिंचाई हेतु कुआ खुदवाकर उक्त कृषि भूमि को उपजाऊ योग्य बनाया है। अपीलाण्ट का उक्त कृषि भूमि में निवास अपने परिवार सहित होने से उसके राशन कार्ड, परिचय–पत्र, आधार कार्ड भी यही के बने हुए है। ऐसी स्थिति में एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलाण्ट खातेदार घाषित होने का कानूनन हक अधिकार रखता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर साक्ष्य लिये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा पेश वाद जवाब दावा हेतु विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को उक्त वाद में प्रतिवादीगण का जवाब दावा रेकर्ड लेकर वादी एवं प्रतिवादी की बाद साक्ष्य विधिपूर्ण सुनवाई करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली को मेरिट पर निर्णित कर आदेश पारित करना था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर राजस्व अभियान 2018 केम्प कोर्ट देसूरी में उक्त वाद पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन करते हुए बिना कोई विधिक प्रक्रिया को अपनाये एवं केम्प कोर्ट के टारगेट को पूरा करने की नियत से बिना कोई विधिक टिप्पणी किये निर्णित कर दिया गया है। जो विधिपूर्ण प्रक्रिया एवं जवाब व साक्ष्य के अभाव में निर्णित कर जो आदेश पारित किया वह काबिल खारिज योग्य है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में भीका पुत्र गेमा के नाम गलत आवंटन होने से उसकी मृत्यु के बाद इन्द्राज होने से चला आ रहा है परन्तु वास्तविक एवं सही रूप से उक्त कृषि भूमि पर इनका कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलाण्ट पिछले करीब 50 वर्षों से अधिक समय से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर रेस्पोंडेण्टस की जानकारी में रहते शांतिपूर्वक रूप से काश्त कर रहा है व इसका राजस्व लगान (बिगौड़ी) जमा करवा रहा है। जिससे अपीलाण्ट वादग्रस्त कृषि भूमि का बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत खातेदार हो गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य रेकर्ड पर नही लेकर वाद की एक तरफा सुनवाई कर अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह खारिज योग्य है। मौजा देसूरी, तहसील देसूरी के हाल खसरा नम्बर 3106, 3107 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.8900 हैक्टर की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जरूर रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगाय 3 के नाम दर्ज है। परन्तु उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर लगातार करीब 50 वर्षो से अधिक समय से अपीलाण्ट का बिना रोक–टोक के रेस्पोडेण्टस संख्या 1/1 लगाय 3 की जानकारी में रहते कब्जा काश्त चला आ रहा है जो आज भी कायम है। उक्त कृषि भूमि का अपीलाण्ट का कब्जा–काश्त रहते वर्तमान में उस पर अपीलाण्ट द्वारा काश्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का मालिक हो गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज कर पत्रावली पर विधिपूर्ण साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह खारिज योग्य है। उक्त पत्रावली में राजस्व केम्प के दौरान आगामी तारीख पेशी मुकर्रर नही रहने से एवं बाद राजस्व केम्प समाप्ति के उक्त पत्रावली राजस्व केम्पो के बस्ते में बंधे रहने से उसमें हुए आदेश दिनांक 21.09.2018 की जानकारी अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को दिनांक 24.08.2018 से पूर्व नहीं रही है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2018 को राजस्व अभियान 2018 न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट देसूरी में पारित किया गया है। जबकि उस रोज केम्प में अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहे हैं। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली पर सुनवाई करते हुए वाद परिपोषणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नही होने का मानकर खारिज कर दिया है। अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को राजस्व केम्प के बाद उक्त पत्रावली तारीख पेशी में नियमित नहीं आने से उक्त पत्रावली में हुए आदेश निर्णय के बारे में जानकारी नहीं रही है। आदेश की जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.08.2018 को आवेदन पेश किया जो नकल आवेदन क्रमांक 320/24.08.2018 के द्वारा तैयार होकर अपीलाण्ट को दिनांक 24.09.2018 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वादपत्र में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत की। जोकि विलंब से प्रस्तुत हुई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय से वादपत्र खारिज किया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 24.08.2018 को हुई तथा नकल आदि प्राप्त कर अपील आदि प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. चूंकि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अतः विलंबकाल अपीलांट की लापरवाही से न होकर सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज भीका पुत्र गेमा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित होकर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आवंटन को गलत मानते हुए तथा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जाकाश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2018 द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता भीका पुत्र गेमा को आवंटित होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होने, वादी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं होने के आधार पर वादपत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है।

5. हमारे विनम्र मत में चूंकि वादी अपने वादपत्र में स्वयं यह स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की आवंटित व खातेदारी कृषि भूमि है, वादी अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन एवं नियमन के विरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार चाराजोही कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता था। लेकिन अपीलांट वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने से वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाधित है। अतः वादपत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि या विधिविरूद्धता नहीं की गई हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2018 बअनवान पीथाराम बनाम मोतीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली